संख्या -12/2022/487/सा0/सैंतालिस-का-4-2022(1/3/96)

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2022

विषयः- समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-8/2022/सा0/119/सैंतालिस-का-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाये रखने के दृष्टिगत समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में यह भी अपेक्षा की गयी थी कि कार्मिकों के पटल/क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून, 2022 तक प्रेषित कर दिया जायेगा कि उनके अधीन 03 वर्ष से अधिक अवधि का कोई कार्मिक एक ही पटल/क्षेत्र में तैनात नहीं है, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 13.05.2022 के अनुपालन में समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं फील्ड में तैनात/कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में सूचना अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2022/487/सा0/सैंतालिस-का-4-2022-(1/3/96) तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in